न्यायालय–ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, जिला सतना (म.प्र)

(समक्ष–मुकेश सिंह चौहान)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–सी.आर.ए.–122/2025

फाइलिंग नम्बर–5602/2025

सी.एन.आर.नम्बर एम.पी.–1901-008306–2025

फाईलिंग दिनांक–14.08.2025

रजिस्ट्रेशन दिनांक–14.08.2025

विक्रम सिंह पिता श्री जीत सिंह उम्र लगभग 49 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट रामस्थान तहसील रघुराजनगर थाना कोलगवां जिला सतना (म.प्र.) हाल निवास चाण्क्यपुरी कालोनी गली नं.01 सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.)

——अपीलार्थी/अभियुक्त

//विरुद्ध//

शिवकली सिंह पत्नी श्री दिलीप सिंह उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी वार्ड नं. 03 रामस्थान थाना कोलगवां, जिला सतना (म.प्र.)

——प्रत्यर्थी/परिवादी

न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना म.प्र. (श्रीमती रितिका शर्मा खरे) के न्यायालय के एस.सी.एन.आई.ए प्रकरण क्रमांक 322/2024 शिवकली सिंह विरूद्ध विक्रम सिंह में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2025 से उद्भूत, आपराधिक अपील।

अपीलार्थी की ओर सेः— अधिवक्ता श्री हेमराज साहू।

प्रत्यर्थी की ओर सेः— अधिवक्ता श्री मृगेंद्र सिंह।

—::निर्णय::—

(आज दिनांक 08.08.2026 को घोषित)

01. यह आपराधिक अपील अपीलार्थी की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना म.प्र. (श्रीमती रितिका शर्मा खरे) के न्यायालय के एस. सी.एन.आई.ए प्रकरण क्रमांक 322/2024 शिवकली सिंह विरूद्ध विक्रम सिंह में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2025 से व्यथित हो कर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अपराध में 03 माह के साधारण कारावास एवं धारा 357(3) दं.प्र.सं. के अधीन चैक की राशि 4,00,000/— (चार लाख रूपये मात्र) एवं चैक की राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 01 वर्ष 06 माह का ब्याज 54,000/— (चौवन हजार रूपये) रूपये, स्टाम्प खर्च के संबंध में 17,000/—(सत्रह हजार रूपये) एवं अधिवक्ता एवं अन्य खर्च के रूप में 2,000/—(दो हजार) रूपये कुल 4,73,000/—(चार लाख तिहत्तर हजार रुपये) का प्रतिकर एवं प्रतिकर की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दंडित किया है। उक्त निर्णय दिनांक 16.07.2025 को ही प्रकरण में प्रश्नगत किया गया है।

02. प्रकरण में सुविधा की दृष्टि से अपीलार्थी को अभियुक्त तथा

प्रत्यर्थी को परिवादी के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

03. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद पत्र के अनुसार अभियुक्त ट्रक चलवाने का व्यवसाय करता है। माह जनवरी के अंतिम सप्ताह में अभियुक्त को अपने ट्रक की किस्त अदा करने के लिए रूपयों की आवश्यकता होने के कारण उसने परिवादी से 4,00,000/–रूपये की मांग की थी। अभियुक्त एवं परिवादी के मध्य अच्छे पारिवारिक संबंध होने के कारण परिवादी ने दिनांक 29.01.2024 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सतना में संधारित 4,00,000/–रूपये की एफ0डी0 को रिलीज कराकर बैंक में ही अभियुक्त को उसके कहे अनुसार अपने खाता से उसके कहे अनुसार खाता में स्थानांतरित कर दी गयी। अभियुक्त द्वारा परिवादी को यह नही बताया गया था कि जिस फर्म श्रीराम लॉजिस्टिक के लोन अकाउंट में उक्त 4,00,000/–रूपये लोन एमाउंट अंतरित कराया है, वह फर्म उसके भाई प्रभाकर सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। परिवादी द्वारा बैंक से एकाउंट स्टेटमेंट निकलवाने पर उक्त तथ्य की जानकारी हुई, जिस पर परिवादी पर द्वारा आपत्ति की गई, तब अभियुक्त द्वारा कहा गया कि उसका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय उक्त फर्म के नाम से ही है तथा वह और उसका भाई उक्त फर्म में पार्टनर हैं। तत्पश्चात अभियुक्त ने उसके बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिरला रोड सतना स्थित खाता क्रमांक 87830100011049 का चेक क्रमांक 000043 दिनांक 29.01.2024 राशि 4,00,000/–रूपये परिवादी को प्रदान किया तथा चेक प्रदान करते समय अभियुक्त ने परिवादी को यह आश्वासन दिया कि वह उक्त चेक को नियत दिनांक 29.01.2024 के 20 दिवस पश्चात् अपने खाते में प्रस्तुत कर अपनी उक्त कर्ज राशि 4,00,000/–रूपये को वापस प्राप्त कर सकती है।

04. परिवादी के अनुसार उक्त चेक भुगतान हेतु उसने बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा सतना जिला सतना म0प्र0 में स्थित अपने खाता क्रमांक 00000020279664920 में दिनांक 26.02.2024 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 27.02.2024 को अभियुक्त के हस्ताक्षर बैंक में उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से भिन्न हैं अर्थात् 'ड्रॉअर्स सिग्नेचर डिफर्स' है, की टीप के साथ वापस प्राप्त

हुआ। परिवादी द्वारा अभियुक्त से मिलकर यह बताया कि उसके द्वारा प्रदत्त चेक का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, तब अभियुक्त के द्वारा कहा गया कि वह 2–4 दिन में व्यवस्था करके उक्त राशि का नगद भुगतान कर देगा, परिवादी द्वारा कई बार अभियुक्त से उक्त राशि की मांग की गयी, परंतु अभियुक्त द्वारा राशि अदा न किए जाने पर परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को उसके स्थायी पते व वर्तमान पते पर पृथक–पृथक नोटिस दिनांक 21.03.2024 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित किए गए। दोनों नोटिस अभियुक्त को दिनांक 23.03.2024 को प्राप्त होने के पश्चात भी बावजूद भी अभियुक्त द्वारा उक्त चेक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया और न ही नोटिस का जवाब दिया गया। तत्पश्चात विधिक समयावधि में परिवादी के द्वारा परिवाद पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

05. विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त पर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने आरोप करना अस्वीकार कर विचारण की वांछा की। अभियुक्त ने उसके कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना बताते हुए बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

06. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि दिनांक 29.01.2024 को ही परिवादी ने अपनी बैक की एफडी रिलीज कराकर दिनांक 29.01.2024 को ही अभियुक्त को उक्त राशि उसके कहे अनुसार खाता में ट्रान्सफर कर दी गई थी और उसके पश्चात् अभियुक्त ने चेक क्रमांक 000043 दिनांकित 29.01.2024 को परिवादी को प्रदान किया तथा चेक प्रदान करते समय अभियुक्त ने परिवादी को यह आश्वासन दिया कि वह उक्त चेक को नियत दिनांक 29.01.2024 से 20 दिवस पश्चात् अपने बैक अपने खाते में प्रस्तुत कर उक्त कर्ज राशि प्राप्त कर सकती है, इन तथ्यों को परिवादी ने अपने मुख्य परीक्षण में भी बताया है, उक्त बिंदू पर परिवादी एवं परिवादी साक्षी क्रमांक 02 उत्तम सिंह के कथन में तात्विक भिन्नता है। अभियुक्त ने उसके अभियुक्त कथन में यह कहा कि

परिवादी ने जमीन खरीदने हेतु राशि दी थी, जमीन का सौदा कैन्सिल होने के बाद अमानत के तौर पर चेक दिया था। अभियुक्त द्वारा विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु कोई चेक नही दिया था। विचारण न्यायालय ने परिवादी साक्ष्य में आई भिन्नताओ पर कोई विचार नही किया है। परिवादी ने प्रभाकर सिंह के खाते में राशि अंतरित की थी, उक्त तथ्यों को विचारण न्यायालय के द्वारा पूरी तरह से अनदेखा किया जाकर विधि एवं तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

07. परिवादी की ओर से किए गए तर्कों में विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2025 को विधि सम्मत होना बताते हुए उसमें किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलार्थी /अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि किए जाने का निवेदन किया है।

08. अपील के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय हैं:–

01. क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 16.07.2025 विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है? यदि हॉ तो प्रभाव।

–:: सकारण निष्कर्ष ::–

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का सकारण निष्कर्ष:–

09. परिवादी द्वारा उसके परिवाद पत्र के समर्थन में परिवादी शिवकली सिंह (परि.सा.01) एवं साक्षी उत्तम सिंह (परि.सा.02) को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में बैक आफ बडौदा शाखा बिरला रोड सतना का चेक दिनांक 29.01.2024 प्र.पी.01, अनादरण मेमो प्र.पी.02 परिवादी द्वारा उसके अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 21.03.2024 को अभियुक्त को दिया गया नोटिस प्र.पी.03, डाक रसीद प्र.पी.04 एवं 05, शिवकली सिंह का बैक स्टेटमेंट की प्रति प्र.पी.06 प्रस्तुत किये गये है। अभियुक्त द्वारा उसके समर्थन में कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नही किये

गये है।

10. परिवादी शिवकली सिंह (परि.सा.01) के अनुसार अभियुक्त द्वारा उसे माह जनवरी के अंतिम सप्ताह में अपने ट्रक की किस्त अदा करने के लिए रूपयों की आवश्यकता होने के कारण उसने उससे 4,00,000/–रूपये कर्ज की मांग की थी। अभियुक्त एवं उसके मध्य अच्छे पारिवारिक संबंध होने के कारण परिवादी द्वारा दिनांक 29.01.2024 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सतना में संस्थित 4,00,000/–रूपये की एफ.डी. को रिलीज कराकर बैंक में ही अपने खाता से अभियुक्त को उसके कहे अनुसार खाता में स्थानांतरित कर दी गयी। तत् पश्चात् अभियुक्त द्वारा उसके बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिरला रोड सतना स्थित खाता क्रमांक 87830100011049 का चेक क्रमांक 000043 दिनांकित 29.01.2024 राशि 4,00,000/–रूपये परिवादी को प्रदान किया। परिवादी की साक्ष्य उक्त बिंदू पर प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रही है।

11. अभियुक्त द्वारा यद्यपि परिवादी को इस संबंध में सुझाव समर्थित कराया गया है कि परिवादी के द्वारा राशि अभियुक्त विक्रम सिंह के खाते में जमा की गई थी या श्री राम लॉजिस्टिक लोन के खाते में, उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि परिवादी के अनुसार उसने अभियुक्त के कहे अनुसार संबंधित खाते में राशि अंतरित कर दी थी। यह प्रमाण भार अभियुक्त पर था कि वह प्रमाणित करे कि उसे 4,00,000/– रूपये की राशि परिवादी के द्वारा नही दी गई थी। अभियुक्त की ओर से परिवादी से जमीन का सौदा करने के संबंध में दिये गये सुझाव को परिवादी शिवकली द्वारा स्पष्ट रूप से खण्डित किया है। संपूर्ण राशि अदा कर दिये जाने के विपक्षी के सुझाव का भी साक्षी के द्वारा खण्डन किया गया है।

12. परिवादी साक्षी उत्तम सिंह (परि.सा.02) को परिवादी शिवकली का पुत्र होना अविवादित है। उक्त साक्षी परिवादी द्वारा अभियुक्त को बैक के माध्यम से परिवादी की एफडी रिलीज कराकर अभियुक्त के बताये अनुसार खाते में चार लाख रूपये अंतरण कराये जाने का साक्षी है। परिवादी साक्षी उत्तम सिंह (परि.सा.02) के अनुसार अभियुक्त विक्रम सिंह ने उसकी मां से

ट्रक की किश्त जमा करने के लिए उधार पैसे की मांग की थी, तब वह, उसकी मां शिवकली और अभियुक्त विक्रम सिंह बैंक गये, वहां पर अभियुक्त द्वारा पर्ची में भरकर उसकी मां से दस्तखत कराकर पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करा दिया था। उसी दिन उसने व उसकी मां ने अभियुक्त से चेक मांग लिया था। फिर अभियुक्त ने उनका पैसा समय पर नहीं लौटाया। सही समय पर पैसा नहीं देने के बाद जब उन्होंने चेक बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। परिवादी साक्षी उत्तम सिंह की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रही है। उक्त साक्षी द्वारा उसकी मां एवं अभियुक्त के मध्य जमीन लेने की बातचीत होने संबंधी सुझाव का खण्डन किया है। उक्त साक्षी ने यद्यपि प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसकी मां ने रूपये श्री राम लॉजिस्टिक फर्म के नाम ट्रांसफर किया था, विक्रम सिंह को रूपये नहीं दिये गये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी मां ने प्रभाकर सिंह के खाते में रूपये ट्रांसफर किये थे। साक्षी ने अभियुक्त विक्रम सिंह द्वारा किश्तों में उसकी मां को 4 लाख रूपये लौटा दिये जाये जाने के विपक्षी के सुझाव का खण्डन किया है।

13. परिवादी शिवकली (परि.सा.01) के अनुसार प्रश्नगत चेक उसके द्वारा उसके स्टेट बैक आफ इण्डिया मुख्य शाखा सतना जिला सतना म.प्र. स्थित खाता क्रमांक 00000020279664920 में दिनांक 27.02.2024 को खाता धारक के हस्ताक्षर भिन्न होने के आधार पर अनादरित होकर वापस प्राप्त हुआ। परिवादी द्वारा अनादरण मेमो प्र.पी.02 को प्रमाणित किया है। परिवादी के अनुसार उसने अभियुक्त से चेक अनादरित होने के संबंध में कहे जाने पर उसके द्वारा दो–चार दिन में चेक राशि अदा करने का आश्वासन दिया गया। उसके द्वारा राशि अदा न करने पर अभियुक्त को उसके स्थाई पते एवं वर्तमान पते पर दिनांक 21.03.2024 को मांग सूचना पत्र प्र.पी.03 उसके अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित किया गया। साक्षी ने नोटिस भेजने की डाक रसीद प्र.पी.04 एवं 05 का प्रमाणित किया है। अभियुक्त की ओर से नोटिस प्राप्ति को उसके अभियुक्त कथन के प्रश्न क्रमांक 19 के जवाब में स्वीकार किया है कि उसे दोनो नोटिस दिनांक 23.03.2024 को प्राप्त हो गई

थी। अभियुक्त की ओर से नोटिस की प्राप्ति को प्रश्नगत नही किया है और ना ही नोटिस का कोई जवाब दिया जाना अभिलेख पर है।

14. प्रकरण में प्रस्तुत चेक पर हस्ताक्षर भिन्न होने के आधार पर अनादरण को अभियुक्त की ओर से धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम में न आने का आधार लिया है। उक्त संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **''लक्ष्मी डाइचेम बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य 2012 (13) एससीसी 375''** तथा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **''अश्विन गंगवाल बनाम अग्रवाल एजेसी द्वारा विशाल अग्रवाल 2017 लॉ सूट (एमपी) 598''** में प्रतिपादित विधि मत के अनुसार चेक पर अपूर्ण हस्ताक्षर होने या चेक जारीकर्ता से हस्ताक्षर भिन्न होने के आधार पर अनादरित हुये चेक के संबंध में भी अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के आधार आकर्षित होना निर्धारित किया गया।

15. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि उसके द्वारा चेक वैध दायित्व के उन्मोचन हेतु नही दिया था, उसके द्वारा दिया गया चेक अमानत के तौर पर दिया गया था। प्रश्नगत चेक प्र.पी.01 पर अभियुक्त की ओर से स्वयं के हस्ताक्षरों को विवादित नही किया है। अभियुक्त ने उसके कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कथन किया है कि ''उसने परिवादी से जमीन खरीदने हेतु राशि दी थी। जमीन का सौदा कैसिंल होने के बाद अमानत के तौर पर चेक दिया गया था। पूरा पैसा किश्तो में वापस करने के बाद ब्याज की मांग की गई थी। तत्पश्चात् परिवादी के द्वारा चेक बाउंस कराया गया था''। उक्त प्रतिरक्षा को प्रमाणित करने का भार अभियुक्त पर है। अभियुक्त की ओर से किसी जमीन के सौदे संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। अभियुक्त की ओर से जमीन का सौदा होने के संबंध में किसी स्वतंत्र साक्षी को साक्ष्य में प्रस्तुत नही किया है। अभियुक्त के अनुसार चेक अभियुक्त का ही है। उसकी पृविष्टयों को उसके द्वारा नही भरे जाने का कोई आधार उसने नही लिया है।

16. गांरटी के रूप में दिये गये चेक के संबंध में भी धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधान आकर्षित होते है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत **"K.J.Shaji vs Thodupuzha Primary Co-Operative 2017 Law suit (Ker) 1266"** के पद क्रमांक 08 एवं 09 के अनुसार

> To examine this contention it will be relevant to note some of the important case laws on the subject. The Apex court in Sampelly Satyanarayana Rao v. Indian Renewable Energy Development Agency Limited (2016) 10 SCC 458, has dealt with a case where the post-dated cheque was described as 'security' towards the repayment of instalment of already disbursed loan amount. In that case, it was held that the dishonour of the said cheque would result in attracting the offence under Section 138 of NI Act. It was held therein that the crucial point is whether cheque represents the discharge of existing enforceable debt or liability or whether it represents the advance payment without there being any subsisting liability and that once loan amount was disbursed and as per the agreement, instalments had fallen due on the date of issuance of cheque, the dishonor of such cheque will attract offence under Section 138 of NI Act and such issuance of cheque undoubtedly represents outstanding liability. Some of the important case laws on the point has been extensively surveyed in the said judgment and it will be profitable to refer paragraph Nos.10 to 19 of the Sampelly Satyanarayana Rao's case (Supra)
>
> 9. We have given due consideration to the submission advanced on behalf of the appellant as well as the observations of this Court in Indus Airways (P) Ltd.v.Magnum Aviation (P) Ltd., (2014) 12 SCC 539 : (2014) 5 SCC (Civ) 138 : (2014) 6 SCC (Cri) 845 with

> reference to the explanation to Section 138 of the Act and the expression "for discharge of any debt or other liability" occurring in Section 138 of the Act. We are of the view that the question whether a post-dated cheque is for "discharge of debt or liability"
>
> depends on the nature of the transaction. If on the date of the cheque, liability or debt exists or the amount has become legally recoverable the section is attracted and not otherwise.

17. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह आधार लिया गया है कि परिवादी द्वारा राशि श्रीराम लॉजिस्टिक फर्म के नाम पर अंतरित की थी, अभियुक्त को रूपये नही दिये गये थे। तत् संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त की ओर से जो विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिरक्षा ली गई है, उसके अनुसार परिवादी ने जमीन खरीदने हेतु राशि दी थी और सौदा कैंसिल होने के पश्चात अमानत के रूप में चेक दिया था। पूरा पैसा किश्तों में वापस करने के बाद ब्याज की राशि पर विवाद होने से परिवाद प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त की ओर से परिवादी शिवकली सिंह को यद्यपि यह सुझाव दिया गया है कि परिवादी द्वारा राशि प्रभाकर सिंह के खाते में अंतरित की थी, जिसका खण्डन परिवादी की ओर से स्पष्ट रूप से किया गया है। अभियुक्त के कहने पर 4,00,000/– रूपये की एफडी तोडकर अभियुक्त के बताये अनुसार संबंधित खाते में राशि अंतरित किये जाने के संबंध में परिवादी साक्ष्य अखण्डित रही है। अभियुक्त की प्रतिरक्षा प्रमाणित नही है।

18. इस प्रकरण में अभियुक्त द्वारा चेक पर बने हुए अपने हस्ताक्षर को स्पष्ट तौर पर इनकार नहीं किया गया है। प्रतिरक्षा संबंधी तथ्यों को प्रमाणित करने का भार भी अभियुक्त पर है। सम्पूर्ण प्रमाण भार धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आधार पर अभियुक्त पर है कि वह तथ्यों को प्रमाणित करे कि उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। धारा 118 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत उपधारणाएं आकर्षित होती हैं, जब तक कि वह प्रतिकूल साबित न

कर दी जावें। अतः सम्पूर्ण भार अभियुक्त पर है और उसे ही प्रमाणित करना होगा कि उसने चेक जारी नहीं किया था, किन्तु ऐसा कोई प्रमाणीकरण अपीलार्थी की ओर से नहीं दिया गया है।

19. स्थापित विधि है कि ऐसे मामलों में जहां कोई चेक अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षरित है और उसके हस्ताक्षर विवादित नहीं हैं, तब ऐसी उपधारणा अभियुक्त के संबंध में निर्मित हो जायेगी कि उसने जो चेक दिया है, वह विधितः प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन के अंतर्गत दिया है। धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम ऐसी उपधारणा को जन्म देता है, जब तक कि अभियुक्त द्वारा तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया गया हो। न्यायदृष्टांत **''त्रयम्बंक एस.हेगडे बनाम श्री पाद, 2022(1) सीसीएससी, 266, सुप्रीम कोर्ट''** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायमूर्तिगण की खंडपीठ ने न्याय दृष्टांत **''के. भास्करण बनाम शंकरन वैद्यन बालन एवं एक अन्य (1999) 7, एस.सी.सी., 510''** पर निर्भर करते हुये यह धारित किया है कि धारा 118 परक्राम्य लिखत के बारे में जो उपधारणा है, वह उपधारणा तब तक बनी रहेगी जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया गया हो।

20. न्यायदृष्टांत **''बसलिंगप्पा बनाम मोदी बासप्पा (2019) 5, एस. सी.सी., 418''** में यह विधिमत दिया गया है कि एक बार चेक के निष्पादन को स्वीकार कर लिया जाता है, तो अधिनियम की धारा 139 इसी उपधारणा का समादेश देती है कि चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन के लिये था। धारा 139 के अधीन उपधारणा खंडन करने योग्य उपधारणा है और सम्भाव्य प्रतिरक्षा अंगीकार करने का भार अभियुक्त पर है। उपधारणा का खंडन करने के लिये, अभियुक्त स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर विश्वास व्यक्त करने के लिये स्वतंत्र है या अभियुक्त संभाव्य प्रतिरक्षा अंगीकार करने के क्रम में परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री पर भी विश्वास व्यक्त कर सकता है। संभाव्यता की प्रबलता हेतु परिस्थितियों को विचार में लिया जा सकता है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से उक्त उपधारणा का खंडन नहीं किया जा सका है।

21. इस प्रकरण में अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा संबंधी जितने कथन अभियुक्त ने किये हैं, उसको प्रमाणित करने का भार भी अभियुक्त पर है। अतः सम्पूर्ण प्रमाण भार धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आधार पर अभियुक्त पर है कि वह तथ्यों को प्रमाणित करे कि चेक उसके द्वारा विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु नहीं दिया था। धारा 118 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत उपधारणाएं आकर्षित होती हैं, जब तक कि वह प्रतिकूल साबित न कर दी जावें। अतः सम्पूर्ण भार अभियुक्त पर है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा चेक जारी किया जाना स्वीकृत है।

22. इस प्रकरण में अपीलार्थी जो कि विचारण न्यायालय के समक्ष बतौर अभियुक्त है, उसके द्वारा किये गये कूटपरीक्षण में ऐसा कोई ठोस बचाव दर्शित नहीं हुआ है, जो अभियुक्त के बचाव अधिसंभावनाओं के बाहुल्य में लाकर परिवादी के पक्ष में उपलब्ध उपधारणा को खंडित कर सके। साक्षी की साक्ष्य को समग्रता में देखना होता है। यह अधिनियम विशेष अधिनियम है, जिसके संबंध में विधि अब स्थापित हो चुकी है कि यदि विवादित चेक सुरक्षा बतौर भी लिया गया है, एवं यदि प्रश्नगत चेक पर हस्ताक्षर विवादित नहीं है तो मात्र सुरक्षा का बचाव धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत परिवादी के हित विपरीत उपधारणा को खंडित नहीं कर सकेगा।

23. उपरोक्त विधिमत के प्रकाश में विद्वान विचारण न्यायालय ने समुचित रूप से धारा 118, धारा 138 एवं 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दिये गये विधिमत पर पूर्णतः विधिक रूप से मनन कर बचाव पक्ष की साक्ष्य को विचार में लेकर उचित तौर पर यह निर्धारित किया है कि चूंकि वादग्रस्त चेक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर विवादित नहीं किये गये हैं, और न ही अभियुक्त द्वारा लिये गये बचाव की स्थापना के लिये उसने कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है। इस प्रकार अभियुक्त वह उपधारणा खंडित नहीं कर पाया है, जो यह दर्शाये कि प्रश्नगत चेक विधितः, प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व के अधीन अभियुक्त द्वारा परिवादी को नहीं दिया गया था। न्यायदृष्टांत **''स्टैण्डर्ड चाटर्ड बैंक बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2016), ए.आई.आर. (सुप्रीम कोर्ट) 1750''**

मार्गदर्शनीय एवं अवलोकनीय है।

24. प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट है कि चेक प्र.पी.01 विहित समयावधि में भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया गया था, जो अभियुक्त के खाते में ''हस्ताक्षर भिन्न'' होने के कारण अनादरित होकर परिवादी को वापस प्राप्त हुआ। परिवादी द्वारा मांग सूचना पत्र प्रदान किए जाने के पश्चात विधिक समयावधि में अभियुक्त द्वारा राशि अदा न किए जाने पर परिवादी की ओर से यह परिवाद पत्र अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

25. अभिलेख पर जो भी साक्ष्य उपलब्ध है, उससे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त के द्वारा दिनांक 29.01.2024 को चेक क्रमांक 000043 रूपये 4,00,000/–(चार लाख रूपये) रूपए का बैक आफ बडौदा शाखा बिरला रोड जिला सतना का जारी किया गया था, जो अभियुक्त के हस्ताक्षर में भिन्नता होने के कारण अनादरित हुआ था और चेक की राशि का भुगतान न किये जाने पर मांग सूचना की जानकारी होने के बाद भी आरोपी द्वारा चेक राशि परिवादी को अदा नही की गई।

26. फलतः उपरोक्त विवेचना, तथ्य एवं विधि के आलोक में विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं उसमें सकारण पारित निष्कर्ष के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में 03 माह के साधारण कारावास तथा धारा 357 (3) द.प्र.स. के अधीन राशि 4,00,000/–(चार लाख रूपये), चेक की राशि पर 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज 54,000/– रूपये (चौवन हजार रूपये), स्टाम्प खर्च 17,000/–रूपये (सत्रह हजार रूपये) एवं अधिवक्ता व अन्य खर्च 2,000/– (दो हजार रूपये) कुल राशि 4,73,000/– रूपये (चार लाख तिहत्तर हजार रूपये) प्रतिकर, अदा करने और व्यतिक्रम में 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड भुगताये जाने का आदेश पारित जाने के निष्कर्ष में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

27. अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अपीलार्थी / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील **निरस्त** की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा घोषित आलोच्य निर्णय में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता दर्शित नहीं होने से उसकी पुष्टि की जाती है।

28. आज अभियुक्त न्यायालय में अनुपस्थित हैं। अतः विचारण न्यायालय विधिक रूप से उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कर उसकी उपस्थिति उपरांत उसके द्वारा दी गयी दंडाज्ञा भुगताए जाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

29. अभियुक्त के संबंध में निरोध की अवधि निरंक है।

30. अपीलार्थी द्वारा यदि इस निर्णय के विरूद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण की जाती है, तो माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

31. निर्णय की एक प्रति के साथ मूल अभिलेख विचारण न्यायालय की ओर अग्रिम कार्यवाही के लिये प्रेषित किया जावे।

32. निर्णय की प्रति अपीलार्थी / अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए।

33. अपील के निराकरण की सूचना माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, सतना की ओर प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(मुकेश सिंह चौहान)
ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश
सतना (म.प्र.)

MUKESH SINGH CHAUHAN
Digitally signed by MUKESH SINGH CHAUHAN
Date: 2026.08.08 18:25:32 +0530

(मुकेश सिंह चौहान)
ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश
सतना (म.प्र.)

प्रतिलिपि– न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना म.प्र. (श्रीमती रितिका शर्मा खरे) के न्यायालय के एस.सी.एन.आई.ए प्रकरण क्रमांक 322/2024 शिवकली सिंह विरूद्ध विक्रम सिंह का मूल अभिलेख अपील में पारित निर्णय की सत्यप्रति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(मुकेश सिंह चौहान)
ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश
सतना (म.प्र.)